यादव की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन की गई दोषसिद्धि और अधिनिर्णीत आजीवन कारावास के दंडादेश की पुष्टि की जाती है । अभियुक्त प्रेम यादव शेष कारावास भोगने के लिए अभ्यर्पण करेगा/उसे अभिरक्षा में लिया जाएगा ।

19. जहां तक प्रेम भुजवा, रघुवीर और मेहंगू के संबंध में राज्य द्वारा फाइल की गई अपीलों का संबंध है, इन्हें खारिज किया जाता है ।

अपीलें भागतः मंजूर की गईं ।

जस.

[2018] 2 उम. नि. प. 117

इस्साक उर्फ किशोर

बनाम

रोनाल्ड चेरियन और अन्य

23 जनवरी, 2018

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. भानुमती

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 386 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302, 394 और 34] – अपील न्यायालय की शक्तियां – विचारण न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य आशय का विवाद्यक विरचित करने के बावजूद एक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित न करके उसे दोषमुक्त किया जाना – प्राइवेट अपील – उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में, ऐसी आपवादिक परिस्थितियों में, प्राइवेट पक्षकारों की प्रेरणा पर भी दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त कर सकता है, जहां विचारण के संचालन में ऐसी सुस्पष्ट त्रुटि हो जिससे विचारण सारवान् रूप से प्रभावित हुआ हो या उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, वहां उच्च न्यायालय द्वारा मामले के तथ्य और परिस्थितियों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए मामले का पुनःविचारण करने का निदेश देना उचित होगा ।

मामले के तथ्यों के अनुसार, मृतका-बृजिता 63 वर्ष आयु की विधवा थी और अपने मकान में अकेली रहती थी । अभियुक्त सं. 1 का पिता

नटराजन उसी मकान में रहता था, जहां बृजिता रह रही थी । वह बृजिता का स्थायी कर्मचारी था । मृतका के पुत्र, प्रत्यर्थी सं. 1, रोनाल्ड चेरियन ने किन्हीं कारणोंवश नटराजन को मकान में न रहने के लिए कहा और इसलिए नटराजन ने अपना रोजगार छोड़ दिया । उसके पश्चात्, कृषि कार्य में मृतका की सहायता करने के लिए अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 मृतका के साथ उसके मकान में रहने लगा । तारीख 6 फरवरी, 2006 की मध्य रात्रि में मृतका की ननद ने, जो मृतका के मकान से 50 मीटर की दूरी पर रह रही थी, मृतका के मकान से चिल्लाने की आवाज सुनी । मृतका की चिल्लाने की आवाज सुनकर मृतका की ननद ने अपने पुत्र (अभि. सा. 1) को जगाया । इसके पश्चात्, वह मृतका के मकान पर गया और अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 को रसोई का दरवाजा खोलने के लिए कहा, किंतु उसने उसे बताया कि वह रस्सी से बंधा होने के कारण दरवाजा नहीं खोल सकता है और उसे आगे के दरवाजे से मकान में प्रवेश करने के लिए कहा । अभि. सा. 1 आगे के दरवाजे से मकान में प्रवेश करने पर मृतका को मकान के आगे वाले कमरे में बेहोश पड़े पाया और अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 रसोई में रस्सी से बंधा हुआ था । अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 ने अभि. सा. 1 को बताया कि पांच चोर मकान में घुसे थे और मृतका का गला घोंटने के पश्चात् मकान से सभी मूल्यवान सोने के आभूषण और नकदी ले गए । अभि. सा. 1 ने घटना के बारे में मृतका के ज्येष्ठ पुत्र प्रत्यर्थी सं. 1-रोनाल्ड चेरियन को सूचित किया और इसके पश्चात् वे मृतका को सेंट जॉन अस्पताल, कट्टप्पन लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् पुलिस निरीक्षक ने अन्वेषण के दौरान स्थल पंचनामा (घटनास्थल महाज़र) तैयार किया और घटनास्थल से अंगुलियों की छाप उठाईं । अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 को गिरफ्तार किया गया और उसने एक प्रकटन कथन किया, जिसके आधार पर अभियुक्त सं. 2 के ठिकाने का पता चला और उसे उसी दिन गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त सं. 2 के संस्वीकृति कथन के आधार पर उसके मकान से सोने के आभूषणों, करंसी नोटों और उस शाल की बरामदगी की गई, जिसे गला घोंटने के लिए प्रयुक्त किया गया था । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 और 2 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 394 और 302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त सं. 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 394 के अधीन दोषसिद्ध किया । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 को यह अभिनिर्धारित करते हुए दोषमुक्त कर दिया कि अपीलार्थी द्वारा अभियुक्त

सं. 2 की अंतर्ग्रस्तता और अभियुक्त सं. 2 के मकान के अवस्थान के संबंध में किया गया प्रकटन कथन अपीलार्थी की दोषिता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि घटनास्थल से अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 की अंगुलियों की छाप एकत्रित करने की बात अतात्विक है क्योंकि वह मृतका के मकान में ही घरेलू सहायता करने के तौर पर कार्य कर रहा था । अपीलार्थी की दोषमुक्ति से व्यथित होकर प्रत्यर्थी सं. 1-मृतका के ज्येष्ठ पुत्र ने अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 की दोषमुक्ति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अधीन आरोप विरचित करने में लोप करके अनियमितता कारित की है, यद्यपि स्वयं विचारण न्यायालय ने लूट और मृतका की हत्या कारित करने में अभियुक्त सं. 1 और 2 के सांझे सामान्य आशय के बिंदु पर एक विवाद्यक विरचित किया था और इस बात से विचारण पर तात्विक रूप से प्रभाव पड़ा है । उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन मंजूर करते हुए विचारण न्यायालय को मामले का पुनःविचारण करने का निदेश दिया । अभियुक्त ने व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रसामान्यतः, पुनःविचारण करने का आदेश तब नहीं किया जाना चाहिए जब विचारण को त्रुटिपूर्ण ठहराने के लिए थोड़ी-सी खामी हो । पुनःविचारण करने का आदेश तब किया जा सकता है जब आरंभिक विचारण विशिष्ट कारणों से समाधानप्रद न रहा हो, जैसे, समुचित आरोप विरचित नहीं किया गया हो, ऐसा साक्ष्य गलत रूप से नामंजूर किया गया हो जिसे ग्रहण किया जाना चाहिए था या ऐसा साक्ष्य ग्रहण किया गया हो जिसे नामंजूर किया जाना चाहिए था, आदि । पुनःविचारण करने का आदेश तब नहीं किया जा सकता है जब मात्र अनियमितता हो या जहां इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो, वहां अपील न्यायालय पुनःविचारण करने का निदेश न दे । पुनःविचारण करने का आदेश करने की शक्ति का प्रयोग केवल आपवादिक मामलों में किया जाना चाहिए । उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में, आपवादिक परिस्थितियों में, प्राइवेट पक्षकारों की प्रेरणा पर भी दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त कर सकता है, भले ही राज्य ने इसे अपील के लिए उपयुक्त न समझा हो । किंतु इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि इस अधिकारिता का प्रयोग केवल ऐसी आपवादिक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जब विचारण के संचालन में ऐसी सुस्पष्ट त्रुटि हो जिससे विचारण सारवान् रूप से प्रभावित हुआ है

या उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । प्रस्तुत मामले में, उच्च न्यायालय ने यह पाया कि यद्यपि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त सं. 1 और 2 द्वारा अपराध कारित करने में उनके सांझे सामान्य आशय के बिंदु पर विवाद्यक विरचित किया था, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अधीन आरोप विरचित करने में हुए लोप से विचारण सारवान् रूप से प्रभावित हुआ है । उच्च न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उस अंगुलि-छाप विशेषज्ञ की, जिसने प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, परीक्षा की जानी चाहिए थी और उस साक्ष्य से प्रकट होने वाली अन्य परिस्थितियों की भी परीक्षा की जानी चाहिए थी । उच्च न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया है कि सामान्य आशय का विवाद्यक विरचित करने के बावजूद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अधीन आरोप विरचित करने में हुए लोप के कारण विचारण न्यायालय ने साक्ष्य की उचित परिप्रेक्ष्य में परीक्षा नहीं की है, जिसका पुनःविचारण करना आवश्यक है । उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386(क) के अधीन कतिपय निदेशों सहित पुनःविचारण करने का निदेश देने के लिए प्रयोग किए गए विवेकाधिकार को गलत नहीं कहा जा सकता है और उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । (पैरा 11 और 14)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[1968] ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 707 :
महेन्द्र प्रताप सिंह बनाम **सरजू सिंह और एक अन्य** ; 12

[1966] ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 356 :
मटुकधारी सिंह और अन्य बनाम **जनार्दन प्रसाद** ; 13

[1965] ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1887 :
राजेश्वर प्रसाद मिश्रा बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य और एक अन्य** ; 13

[1963] ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 316 :
अबिनाश चन्द्र बोस बनाम **बिमल कृष्ण सेन और एक अन्य** ; 13

[1962] ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1788 :
चिन्नास्वामी रेड्डी बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य** । 12

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 165.

2008 के दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 3413 में केरल उच्च न्यायालय के तारीख 25 जुलाई, 2012 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री सानंद रामकृष्णन्, राजीव मिश्रा और मदन एम. बोरा

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री निशी राजन शोनकर, (सुश्री) अनु के. जॉय, अलिम और रीगन एस. बेल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. भानुमती ने दिया ।

न्या. (श्रीमती) भानुमती - इजाजत दी जाती है ।

2. यह अपील केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम द्वारा इस अपील में प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा फाइल किए गए 2008 के दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 3413 को मंजूर करते हुए और तद्द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 की भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और 394 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषमुक्ति को अपास्त करके तथा इसके पश्चात् विचारण न्यायालय को मामला पुनःविचारण के लिए वापस भेजते हुए तारीख 25 जुलाई, 2012 को पारित किए गए निर्णय से उद्भूत हुई है ।

3. संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि मृतका-बृजिता 63 वर्ष आयु की विधवा थी और अपने मकान में, जो पांच एकड़ भूमि में स्थित था, अकेली रहती थी । अभियुक्त सं. 1 का पिता नटराजन उसी मकान में रहता था, जहां बृजिता रह रही थी । वह बृजिता का स्थायी कर्मचारी था । मृतका के पुत्र, प्रत्यर्थी सं. 1, रोनाल्ड चेरियन ने किन्हीं कारणोंवश नटराजन को मकान में न रहने के लिए कहा और इसलिए नटराजन ने अपना रोजगार छोड़ दिया । उसके पश्चात्, कृषि कार्य में मृतका की सहायता करने के लिए अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 मृतका के साथ उसके मकान में रहने लगा । तारीख 6 फरवरी, 2006 की मध्य रात्रि में मृतका की ननद ने, जो मृतका के मकान से 50 मीटर की दूरी पर रह रही थी, मृतका के मकान से चिल्लाने की आवाज सुनी । मृतका की चिल्लाने की आवाज सुनकर मृतका की ननद ने अपने पुत्र चेरियन **उर्फ** शबीन (अभि. सा. 1) को जगाया । इसके पश्चात्, अभि. सा. 1 मृतका के मकान पर

गया और अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 को रसोई का दरवाजा खोलने के लिए कहा, किंतु अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 ने उसे बताया कि वह रस्सी से बंधा होने के कारण दरवाजा नहीं खोल सकता है और अभि. सा. 1 से आगे के दरवाजे से प्रवेश करने के लिए कहा । अभि. सा. 1 आगे के दरवाजे से मकान में प्रवेश करने पर मृतका को मकान के आगे वाले कमरे में बेहोश पड़े पाया और अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 रसोई में रस्सी से बंधा हुआ था । अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 ने अभि. सा. 1 को बताया कि पांच चोर मकान में घुसे थे और मृतका का गला घोंटने के पश्चात् मकान से सभी मूल्यवान सोने के आभूषण और नकदी ले गए । अभि. सा. 1 ने घटना के बारे में मृतका के ज्येष्ठ पुत्र प्रत्यर्थी सं. 1-रोनाल्ड चेरियन को सूचित किया और इसके पश्चात् वे मृतका को सेंट जॉन अस्पताल, कट्टप्पन लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया । अभि. सा. 1 लगभग 4.00 बजे पूर्वाह्न में कट्टप्पन पुलिस थाने गया और अभि. सा. 22-पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा उसका कथन (प्रदर्श पी-1) अभिलिखित किया गया और उसके आधार पर पांच शनाख्तयोग्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के अधीन 2006 का अपराध मामला सं. 49 रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

4. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् पुलिस निरीक्षक ने अन्वेषण के दौरान स्थल पंचनामा (घटनास्थल महाज़र) तैयार किया और घटनास्थल से अंगुलियों की छाप उठाई । अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 को तारीख 7 फरवरी, 2006 को 6.20 बजे अपराह्न में गिरफ्तार किया गया और उसने एक प्रकटन कथन किया, जिसके आधार पर अभियुक्त सं. 2 के ठिकाने का पता चला और उसे उसी दिन 8.00 बजे अपराह्न में गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त सं. 2 के संस्वीकृति कथन के आधार पर उसके मकान से सोने के आभूषणों, करंसी नोटों और उस शाल की बरामदगी की गई, जिसे गला घोंटने के लिए प्रयुक्त किया गया था । साथ ही, शाल पर पाए गए भूरे रंग के बाल भी आगामी अन्वेषण के लिए परिरक्षित रखे गए । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ कि मृतका की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई थी । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 और 2 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 394 और 302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया ।

5. विचारण न्यायालय ने अभियुक्त सं. 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 394 के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित

आधारों पर दोषसिद्ध किया – (क) मृतका के मकान में अभियुक्त सं. 1 की मौजूदगी की पुष्टि इस तथ्य के कारण की गई है कि अभियुक्त की अंगुलियों की छाप घटनास्थल से बरामद वस्तुओं पर पाई गयी थी; (ख) मृतका के आभूषण और करंसी नोट अभियुक्त सं. 2 के मकान से बरामद किए गए थे; (ग) शाल, जिसका प्रयोग अपराध करने में किया गया था और जिस पर मृतका के बाल मिले थे, उसकी अभियुक्त सं. 2 के मकान से बरामदगी; और (घ) अभियुक्त सं. 2 को अपने ऋणों को चुकता करने के लिए धन की अत्यंत आवश्यकता । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 को यह अभिनिर्धारित करते हुए दोषमुक्त कर दिया कि अपीलार्थी द्वारा अभियुक्त सं. 2 की अंतर्ग्रस्तता और अभियुक्त सं. 2 के मकान के अवस्थान के संबंध में किया गया प्रकटन कथन अपीलार्थी की दोषिता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि घटनास्थल से अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 की अंगुलियों की छाप एकत्रित करने की बात अतात्विक है क्योंकि वह मृतका के मकान में ही घरेलू सहायता करने के तौर पर कार्य कर रहा था ।

6. अपीलार्थी की दोषमुक्ति से व्यथित होकर प्रत्यर्थी सं. 1-मृतका के ज्येष्ठ पुत्र ने अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 की दोषमुक्ति को चुनौती देते हुए एक दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । अभियुक्त सं. 2 ने भी अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष दांडिक अपील फाइल की ।

7. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अधीन आरोप विरचित करने में लोप करके अनियमितता कारित की है, यद्यपि स्वयं विचारण न्यायालय ने लूट और मृतका की हत्या कारित करने में अभियुक्त सं. 1 और 2 के सांझे सामान्य आशय के बिंदु पर एक विवाद्यक विरचित किया था और इस बात से विचारण पर तात्विक रूप से प्रभाव पड़ा है । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि जिस अंगुलि छाप विशेषज्ञ ने रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) तैयार की थी, उसकी विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षा की जानी चाहिए थी और इस साक्षी की परीक्षा न करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि विचारण न्यायालय अभियुक्त सं. 2 द्वारा अपीलार्थी की सहायता के बिना अकेले ही अपराध कारित करने की संभाव्यता के साथ-साथ इस बात का भी मूल्यांकन करने में असफल रहा है कि अपीलार्थी के शरीर पर कोई क्षति नहीं थी जब वह मृतका के मकान

में रस्सी से बंधा हुआ पाया गया था ।

8. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुना और आक्षेपित निर्णय तथा अभिलेख पर की सामग्री का परिशीलन किया । विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करके और मामला पुनःविचारण करने के लिए विचारण न्यायालय को वापस प्रेषित करके ठीक किया है या नहीं ।

9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 में अपीलों पर विचार करने की अपील न्यायालय की शक्तियों को परिभाषित किया गया है । इस धारा में प्रगणित शक्तियां सभी न्यायालयों में, चाहे वह उच्च न्यायालय है या अधीनस्थ न्यायालय हैं, निहित हैं सिवाय इसके कि इस धारा का खंड (क) केवल उच्च न्यायालय की शक्तियों तक निर्बंधित है, चूंकि दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील केवल उस न्यायालय में ही की जाती है, जबकि धारा का खंड (ख) इस प्रकार निर्बंधित नहीं है और इसके अंतर्गत सभी न्यायालय आते हैं । अभियुक्त का पुनःविचारण किए जाने का निदेश देने की शक्ति उच्च न्यायालय को प्रदत्त की गई है और उसे यह शक्ति न केवल तब, जब वह दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करता है, अपितु तब भी है जब वह दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील पर विचार करता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 निम्नलिखित है :–

> "धारा 386 – ऐसे अभिलेख के परिशीलन और यदि अपीलार्थी या उसका प्लीडर हाजिर है तो उसे तथा यदि लोक अभियोजक हाजिर है तो उसे और धारा 377 या धारा 378 के अधीन अपील की दशा में यदि अभियुक्त हाजिर है तो उसे सुनने के पश्चात्, अपील न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है अपील को खारिज कर सकता है, अथवा, –
>
> (क) दोषमुक्ति के आदेश से अपील में ऐसे आदेश को उलट सकता है और निदेश दे सकता है कि अतिरिक्त जांच की जाए अथवा अभियुक्त, यथास्थिति, पुनः विचारित किया जाए या विचारार्थ सुपुर्द किया जाए, अथवा उसे दोषी ठहरा सकता है और विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है ;
>
> (ख) दोषसिद्धि से अपील में, –

(i) निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है या ऐसे अपील न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसके पुनः विचारित किए जाने का या विचारणार्थ सुपुर्द किए जाने का आदेश दे सकता है, अथवा

(ii) दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, अथवा

(iii) निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना, दंड के स्वरूप या परिणाम में अथवा स्वरूप और परिणाम में परिवर्तन कर सकता है जिससे उसमें वृद्धि या कमी हो जाए ;"

10. धारा 386(क) और (ख) (i) के अधीन पुनःविचारण करने का निदेश देने की शक्ति अपील न्यायालय को, जब वह या तो दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध या दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करता है, प्रदत्त की गई है । खंड (क) और (ख) के अधीन अपील न्यायालय की शक्तियों के बीच फर्क है । खंड (ख) के अधीन न्यायालय के लिए निष्कर्ष और दंडादेश पर विचार करना अपेक्षित है, किंतु खंड (क) के अधीन न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश को उलट सकता है और यह निदेश दे सकता है कि अतिरिक्त जांच की जाए या अभियुक्त का पुनःविचारण किया जाए अथवा उसे दोषी ठहरा सकता है और विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है ।

11. प्रसामान्यतः, पुनःविचारण करने का आदेश तब नहीं किया जाना चाहिए जब विचारण को त्रुटिपूर्ण ठहराने के लिए थोड़ी-सी खामी हो । पुनःविचारण करने का आदेश तब किया जा सकता है जब आरंभिक विचारण विशिष्ट कारणों से समाधानप्रद न रहा हो, जैसे समुचित आरोप विरचित नहीं किया गया हो, ऐसा साक्ष्य गलत रूप से नामंजूर किया गया हो जिसे ग्रहण किया जाना चाहिए था या ऐसा साक्ष्य ग्रहण किया गया हो जिसे नामंजूर किया जाना चाहिए था, आदि । पुनःविचारण करने का आदेश तब नहीं किया जा सकता है जब मात्र अनियमितता हो या जहां इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो, वहां अपील न्यायालय पुनःविचारण करने का निदेश न दे । पुनःविचारण करने का आदेश करने की शक्ति का प्रयोग केवल आपवादिक मामलों में किया जाना चाहिए ।

12. **चिन्नास्वामी रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया था । सेशन न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि एक महत्वपूर्ण साक्ष्य को अभियुक्त के विरुद्ध ठहराना अग्राह्य था और उसे दोषमुक्त कर दिया । उच्च न्यायालय ने वस्तुतः शिकायतकर्ता द्वारा फाइल किए गए पुनरीक्षण में यह अभिनिर्धारित किया कि सेशन न्यायालय द्वारा अग्राह्य ठहराया गया साक्ष्य ग्राह्य था और अभियुक्त का उन्हीं आरोपों पर पुनःविचारण करने का निदेश देते हुए दोषमुक्ति अपास्त कर दी । उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय की इस बात से सहमति जताई कि दोषमुक्ति अपास्त किए जाने योग्य है । इस न्यायालय ने निर्णय के पैरा 7 में उन बातों का उल्लेख किया है जिन्हें आपवादिक परिस्थितियां कहा जा सकता है, जो निम्न प्रकार से हैं :–

> "7. यह सही है कि उच्च न्यायालय पुनरीक्षण में प्राइवेट पक्षकारों की प्रेरणा पर भी दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करने के लिए स्वतंत्र है, भले ही राज्य ने अपील करना उपयुक्त न समझा हो; किंतु हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा इस अधिकारिता का प्रयोग केवल उन आपवादिक परिस्थितियों में करना चाहिए, जब प्रक्रिया में कोई सुस्पष्ट त्रुटि हो या विधि के बिंदु पर कोई स्पष्ट गलती हो और परिणामस्वरुप स्पष्ट तौर पर न्याय की हानि हुई हो । धारा 439 की उपधारा (4) में उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के किसी निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित करने के लिए निषिद्ध किया गया है और तो और उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने के लिए भी आबद्धकर है कि वह जब स्वयं प्रत्यक्ष रूप से दोषमुक्ति के किसी निष्कर्ष को दोषसिद्धि के निष्कर्ष में परिवर्तित न कर सकता हो, तो पुनःविचारण का आदेश करके अप्रत्यक्ष तरीके से दोषमुक्ति के किसी निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित न करे । यह बात पुनरीक्षण में दोषमुक्ति के किसी निष्कर्ष को अपास्त करने की उच्च न्यायालय की शक्ति पर परिसीमाएं डालती हैं और केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही इस शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए । ऐसे आपवादिक मामलों का अवधारण करने के लिए वह कसौटी अधिकथित करना संभव नहीं है जो सभी आकस्मिकताओं को आच्छादित करती हो । तथापि, हम इस प्रकार के कुछ मामले उपदर्शित कर सकते हैं जिनमें, हमारी राय में, उच्च न्यायालय के लिए पुनरीक्षण में दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप

---

[1] ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1788.

करना न्यायोचित्त होगा । ये मामले वे हो सकते हैं :– जहां विचारण न्यायालय को मामले का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है किंतु फिर भी अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है, या जहां विचारण न्यायालय ने गलत रूप से उस साक्ष्य को बाहर कर दिया है जो अभियोजन पक्ष प्रस्तुत करना चाहता था, या जहां अपील न्यायालय ने उस साक्ष्य को गलत रूप से अग्राह्य ठहराया है जिसे विचारण न्यायालय द्वारा ग्रहण किया गया था, या जहां या तो विचारण न्यायालय द्वारा या अपील न्यायालय द्वारा सारवान् साक्ष्य की अनदेखी की गई है, या जहां दोषमुक्ति अपराध के ऐसे शमन पर आधारित है जो विधि के अधीन अविधिमान्य है । इन और इसी प्रकृति के अन्य मामलों को उचित रूप से आपवादिक प्रकृति के मामले ठहराया जा सकता है, जहां उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में उचित रूप से हस्तक्षेप कर सकता है; और ऐसे किसी मामले में स्पष्टतः यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय धारा 439(4) के उपबंधों को दृष्टिगत करते हुए जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता था, वह उसे अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा था...।"

(रेखांकन बल देने के लिए किया गया)

महेन्द्र प्रताप सिंह बनाम **सरजू सिंह और एक अन्य**[1] वाले मामले में पुनः इसी सिद्धांत को दोहराया गया था ।

13. **मटुकधारी सिंह और अन्य** बनाम **जनार्दन प्रसाद**[2] वाले मामले में अभियुक्त का भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 460, 406 और 405/471 के अधीन अपराधों के लिए विचारण किया गया था और उसे दोषमुक्त कर दिया गया था । विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के अधीन आरोप विरचित नहीं किया था, जिसके संबंध में प्रथमदृष्ट्या सामग्री उपलब्ध थी और जो अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध है । अपील में उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति को अपास्त कर दिया और पुनःविचारण करने का आदेश किया । उच्चतम न्यायालय ने अपने समक्ष फाइल अपील खारिज कर दी । इस न्यायालय ने **अबिनाश चन्द्र बोस** बनाम **बिमल कृष्ण सेन और एक अन्य**[3] तथा **राजेश्वर प्रसाद मिश्रा** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य और एक अन्य**[4] वाले मामले में

---

[1] ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 707.
[2] ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 356.
[3] ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 316.
[4] ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1887.

के पूर्ववर्ती विनिश्चयों का उन मामलों के तथ्यों के प्रतिनिर्देश करते हुए निर्दिष्ट किया और इस बात पर बल दिया कि अपील न्यायालय को पुनः विचारण करने का आदेश देने का व्यापक विवेकाधिकार उपलब्ध है ।

14. उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में, आपवादिक परिस्थितियों में, प्राइवेट पक्षकारों की प्रेरणा पर भी दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त कर सकता है, भले ही राज्य ने इसे अपील के लिए उपयुक्त न समझा हो । किंतु इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि इस अधिकारिता का प्रयोग केवल ऐसी आपवादिक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जब विचारण के संचालन में ऐसी सुस्पष्ट त्रुटि हो जिससे विचारण सारवान् रूप से प्रभावित हुआ है या उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । प्रस्तुत मामले में, उच्च न्यायालय ने यह पाया कि यद्यपि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त सं. 1 और 2 द्वारा अपराध कारित करने में उनके सांझे सामान्य आशय के बिंदु पर विवाद्यक विरचित किया था, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अधीन आरोप विरचित करने में हुए लोप से विचारण सारवान् रूप से प्रभावित हुआ है । उच्च न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उस अंगुलि-छाप विशेषज्ञ की, जिसने प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, परीक्षा की जानी चाहिए थी और उस साक्ष्य से प्रकट होने वाली अन्य परिस्थितियों की भी परीक्षा की जानी चाहिए थी । उच्च न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया है कि सामान्य आशय का विवाद्यक विरचित करने के बावजूद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अधीन आरोप विरचित करने में हुए लोप के कारण विचारण न्यायालय ने साक्ष्य की उचित परिप्रेक्ष्य में परीक्षा नहीं की है, जिसका पुनःविचारण करना आवश्यक है । उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386(क) के अधीन कतिपय निदेशों सहित पुनःविचारण करने का निदेश देने के लिए प्रयोग किए गए विवेकाधिकार को गलत नहीं कहा जा सकता है और उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

15. परिणामतः, यह अपील खारिज की जाती है । विचारण न्यायालय मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशानुसार कार्यवाही करेगा और यथासंभव शीघ्रता से मामले का निपटारा करेगा । खर्चे के लिए कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.